प्रकरण संख्या 106/2017 श्रीमती सज्जन देवी व अन्य बनाम भगवती व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक विभाजन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिछीवाड़ा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य व सहखातेदारी की आराजी नंबर 1933, 1936, 2329, 2330, 2331 किता 5 रकबा 0.86 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रतिवादी की मौरूसी होकर इसके पूर्व खातेदार देवीलाल थे, जिनकी मृत्यु उपरान्त विरासत से भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के 5 के नाम दर्ज हुई एवं प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा है, किन्तु भूमि के बेहतर विकास हेतु विधिवत विभाजन करना आवश्यक हो गया है। इसलिए वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 29.06.2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 31.07.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि बंटवारा रिपोर्ट अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की अनुपस्थिति में तैयार की गयी मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के प्रभाव में आकर तैयार की गयी है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को रोड़ राईड भूमि दी गयी है एवं अन्य खातेदारों को खेत में जाने का किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही निर्णय पारित करने में गम्भीर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा पत्रावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:44 IST
Reason: SelfAttested

पुनः नये सिरे से मीट्स एण्ड बाउण्ड् विभाजन करने हेतु रिमाण्ड की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में जो फर्द बंटवारा प्रस्तुत हुआ है उस पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं है। अर्थात उक्त फर्द बंटवारा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जबकि फर्द बंटवारा सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया जाता है एवं यदि उक्त फर्द बंटवारे से पक्षकार सहमत नहीं हो तो उनसे आपत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण कर ही अंतिम डिक्री जारी की जाती है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में निर्णय पारित कर अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर मीट्स एण्ड बाउण्ड् निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.04.2021 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:44 IST
Reason: SelfAttested